

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत----- Court of The Divisional Commissioner Bharatpur (Raj.)-----

.....मनोज यादव.....बनाम.....राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा.....अपील गौवंश अधिनियम.....नम्बर..... 63/22

2022/65

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियटिव्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुये
20.6.2022	<p>वकील अपीलान्ट श्री मंजीतसिंह सोगरवाल उपस्थित। सारिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 5.4.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण दर्ज किये जाने से पूर्व वकील अपीलान्ट को बहस एडमीशन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) जयपुर दिनांक 27 नवम्बर 2019 को जारी राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.11.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा को इस प्रकरण का सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त अधिनियम के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट किया है कि” जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहन के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहन के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी , किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।”..... इस प्रकार उक्त अधिनियम के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में अदालत हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण यह अपील वापिस लौटायी जाती है। अपीलान्ट नियमानुसार सक्षम अदालत में अपील पेश करने हेतु स्वतन्त्र रहते है।</p>	


(सांवरमल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर